न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 156/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/424

वादी — बनाम — प्रतिवादी

नारायणराम पुत्र भोमाराम
जाति जाट निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.जैसाराम पुत्र भोमाराम
2.हुकमाराम पुत्र कुम्भाराम
जाति जाट निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
3.शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी.बैक बालोतरा
4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री चम्पालाल प्रजापत अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक 31.7.2025

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 352/84 रकबा 50.04 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी भूमि के बदिशा पूर्व में 0.7484 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व बदिशा उत्तर मे 0.3800 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा नजरी नक्शा बरंग लाल में दर्शित भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। वादी की ओर से अवैध अतिक्रमण हटवाए जाने का प्रतिवादी को निवेदन किए जाने पर भी अवैध अतिक्रमण हटाया नही जा रहा है। अतं वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में दर्शित बरंग लाल कुल क्षेत्रफल 1.1284 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाकर कब्जा वादी को दिलवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी पर उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी के वाद पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयाम मानी गई। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू-1 नारायणराम द्वारा बयानात कलमबद्व करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी व प्रदर्श-2 वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट प्रदर्शित करवाए गए।

4. वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 352/84 रकबा 50.04 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आए दिन सीमाओ को लेकर वाद विवाद किए जाने लगे। प्रतिवादी वादी की कब्जाशुदा भूमि मे दंखलदान्जी किए जाने की कोशिश किए जाने पर वादी की ओर से मना किए जाने के उपरांत भी प्रतिवादी अपने हरकतो से बाज नही आए और वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के प्रयासरत रहने पर वादी की ओर से श्री न्यायालय मे अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का आवेदन पेश किया गया,जो बाद सुनवाई वादी का आवेदन स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी किए जाने के आदेश पारित हुए। जिसकी अनुपालना मे मौका फर्द नेखमबंदी कार्यवाही दिनांक 20.1.2023 को की गई,जिसमे स्पष्ट अंकन किया कि वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बरंग लाल मे दर्शित भूमि पर प्रतिवादी का अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी की ओर से बयानात मय दस्तावेजात से साबित किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अंत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर माफिक अनुतोष वादी का वाद डिक्री किया जावें।

5. हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य मे तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमे पाया कि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 84 रकबा 100.03 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की सहखातेदारी मे अवस्थित थी,जो बाद बंटवाड़ा होने पर वादी की खातेदारी संख्या 352/84 रकबा 50.04 बीघा कायम हुए। वादी की ओर से प्रस्तुत मूल बंटवाड़ा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नक्शा व मौका फर्द मे दर्शित नजरी नक्शा मे विरोधाभास है। उक्त दोनो का
अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि की तरमीम को लेकर विवाद हो सकता
है,क्योंकि विद्यमान लट्ठा नक्शा की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण
विवाद की स्थिति पैदा हुए हो,क्योंकि मौका एवं रेकर्ड में एकरूपता नहीं होने पर
विवाद होना संभव होता है। इसके अलावा नेखमबंदी मौका फर्द मे यह कही स्पष्ट
उल्लेख नही कि वादग्रस्त भूमि में अवैध अतिक्रमण कब का हो रखा है अर्थात मूल
बंटवाड़ा के अनुरूप मौका पर कब्जा काश्त है अथवा नही,ऐसा फर्द मे कहीं उल्लेख
नही है। केवलमात्र नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट से वादी अपने वाद को साबित करने मे
सफलता प्राप्त नही कर सकता है,उसके लिए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किए
जाने अति आवश्यक है,लेकिन वादी पक्ष द्वारा मौका फर्द नेखमबंदी कार्यवाही के
अलावा अन्य ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता है
कि वादी का वाद स्वीकार योग्य हो। इस प्रकार समग्र विवेचन के उपरांत न्यायालय
हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी अपना वाद साबित करने में सफल नही रहा
है,क्योंकि वादी केवलमात्र मौका फर्द दिनांक 20.1.2023 को आधार बनाकर प्रतिवादी
का अवैध अतिक्रमण होना बताकर वाद लाए है,जबकि उक्त रिपोर्ट अपने आप मे सम्रग
मानी नही जा सकती है,इसके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं
किया,जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादी का वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध
अतिक्रमण हो। इस प्रकार वादी अपना वाद पत्र साबित करने में सफल नही रहा है।
ऐसी सूरत मे वादी का वाद खारिज योग्य है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

31/07/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

31/07/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 156/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/424

वादी	बनाम	प्रतिवादी
नारायणराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.जैसाराम पुत्र भोमाराम 2.हुकमाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी.बैंक बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 156/2023

निर्णय दिनांक :–31.7.2025

वादी की ओर से श्री चम्पालाल प्रजापत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 31.7.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 31.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 31/07/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	—	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा